भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1550
बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी</u>

1550. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश किसान प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम) योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सरकार केवल साठ प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है और शेष चालीस प्रतिशत किसानों को स्वयं वहन करना होता है, जिसे किसान सौर ऊर्जा संचालित जल पंपों से होने वाले लाभों के बावजूद वहन करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिंचाई के लिए जल पंपों के संचालन में जीवाश्म ईंधन की लागत को बचाने के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर नब्बे प्रतिशत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आवेदन करने की मौजूदा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता है तथा क्या पीएम-कुसुम योजना के लिए बजट बढ़ाने की भी आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत सौर पंपों को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:

i. 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता से; राज्य का हिस्सा 30 प्रतिशत तक एवं शेष 40 प्रतिशत तक का वहन किसान को करना होता है।
ii. केवल 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ एवं शेष 70 प्रतिशत का वहन किसान को करना होता है।

वर्तमान में पीएम कुसुम योजना के सभी घटकों को कृषि अवसंरचना निधि के तहत शामिल किया गया है, जो वित्तपोषण पर ब्याज से छूट प्रदान करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और दिनांक 17.01.2024 को व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

*****